



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-21.08.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-328/2018 धारा 363, 366 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त अमन सेठ पुत्र विनोद कुमार सेठ निवासी एस 10/76 ई-2 हुकुलगंज थाना कैंट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-21.08.2024 को माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अमन सेठ उपरोक्त को अंतर्गत धारा 363 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।